Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

| | | |
|---|---|---|
| जावक क्रमांक / Dispatch Number | : | 6100009899/FNOC/COL/2023/5752 |
| आवेदन की तिथि / Application Date | : | Mar 5, 2023    जावक की तिथि / Dispatch Date : 25-Apr-23 |
| आवेदक का नाम / Applicant Name | : | CHAVARA VIDHYA BHAVAN HR. SEC. SCHOOL |
| आवेदक का पता / Applicant Address | : | DR JAMES ATHIKALAM BISHOP'S HOUSE SAGAR CANTT, DIST. SAGAR RAISEN 462046 |
| अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC | : | Fire Plan Approval |
| अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy | : | Educational Building/ शैक्षणिक भवन |
| ईमारत का ऊंचाई / Building Height | : | 10 ( मीटर में / Meter ) |
| भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area | : | 1041 ( Sq.Mtr ) |
| संपत्ति का पता / Property Address | : | P.B. NO. 4608, SATLAPUR, MANDIDEEP, DIST. RAISEN MANDIDEEP NAGAR PALIKA |
| अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority | : | |

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100009899 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / **Remarks-**

संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग
क्रं./फायर प्लान एप्रूवल/सं.सं./2023/07    भोपाल, दिनांक 25.04.2023
फायर प्लान अप्रूवल

| | | |
|---|---|---|
| आवेदन क्रं./ तिथि | : | 6100009899/05.03.2023 |
| आवेदक का नाम एवं पता | : | चावरा विद्या भवन, हायर सेकण्डरी स्कूल, प्लाट नं. 4608, सतलापुर, नगर पालिका मंडीदीप, जिला-रायसेन (म.प्र.) |
| अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार | : | फायर प्लान अप्रूवल |
| अधिभोग का प्रकार | : | शैक्षणिक भवन |
| | | प्लाट एरिया 1041.62 वर्ग मीटर, भवन क्षेत्रफल 3124.86 वर्ग मीटर, ऊँचाई 10 मीटर |

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत आवेदक को निम्नलिखित प्रावधानों व शर्तो के अंतर्गत फायर प्लान का अनुमोदन किया जाता है।

Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| जावक क्रमांक / Dispatch Number | : | 6100009899/FNOC/COL/2023/5752 | | |
| आवेदन की तिथि / Application Date | : | Mar 5, 2023 | जावक की तिथि / Dispatch Date : | 25-Apr-23 |
| आवेदक का नाम / Applicant Name | : | CHAVARA VIDHYA BHAVAN HR. SEC. SCHOOL | | |

1. निम्नांकित आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित करना अनिवार्य होगा।

(1) Access.
(2) Wet Riser.
(3) Down Comer.
(4) Hose Reel.
(5) Automatic Sprinkler System.
(6) Yard Hydrant.
(7) U.G. Tank with Draw off Connection.
(8) Terrace Tanks.
(9) Fire Pump.
(10) Terrace Pump.
(11) First Aid Fire Fighting Appliances.
(12) Pressurization System.
(13) Auto Detection System.
(14) Manual operated Electrical Fire Alarm System.
(15) P.A. System with talk back facility.
(16) Emergency Light.
(17) Auto D.G. Set.
(18) Illuminated Exit Sign.
(19) Means of Escape.
(20) Compartmentation.
(21) MCB/ELCB.
(22) Fireman Switch in Lift.
(23) Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
(24) Refuge Area

Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100009899/FNOC/COL/2023/5752

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 5, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 25-Apr-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : CHAVARA VIDHYA BHAVAN HR. SEC. SCHOOL

2. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओ में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.आई. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। •

3. नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में चिन्हित परिसंचरण मार्ग वाहन आवागमन हेतु बाधारहित रखना अनिवार्य होगा।

4. भूमि विकास अधिनियम 2012 में अग्नि सुरक्षा के लिये शैक्षणिक भवन हेतु उल्लेखित प्रावधान/नियमों एवं एम.ओ.एस. का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. निर्मित भवन में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु नियुक्त व्यक्ति/कर्मी को अग्नि सुरक्षा सम्बंधी प्राथमिक उपाय एवं फायर सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. अग्नि सुरक्षा सम्बंधी उपाय/उपकरण स्थापित किये जाने के उपरांत अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।

7. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/ उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

8. अनुमोदिन फायर प्लान अनुसार आवेदक को 01 वर्ष की अवधि में फायर उपकरण स्थापित कर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

9. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

10. अग्नि दुर्घटना की स्थिति से निपटने हेतु आपातकालीन सीढ़ी (Emergency-Exit) का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें।

11. निर्मित भवन की स्थिति में फायर प्लान के अनुमोदन होने के उपरांत फायर उपकरण स्थापित करने के दौरान अथवा विलंब की स्थिति में किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

12. आवेदक को अनुमोदित फायर प्लान में प्रस्तावित फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि शमन प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक '' अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके । तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा।

Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100009899/FNOC/COL/2023/5752

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 5, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 25-Apr-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : CHAVARA VIDHYA BHAVAN HR. SEC. SCHOOL

13. आवेदक द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर ''अग्नि प्राधिकारी'' को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा विभाग द्वारा प्रदाय फायर प्लान अप्रूवल स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो के परीक्षण आधार पर फायर प्लान का अप्रूवल किया जाता है। किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व/दस्तावेज के सम्बंध में शासकीय/अशासकीय वाद-विवाद की स्थिति में जारी किया गया अनुमोदन निरस्त माना जावेगा।

SURESH KUMAR BELIYA
Digitally signed by SURESH KUMAR BELIYA
Date: 2023.04.25 15:30:28 +05'30'

Joint Director/Fire Officer BHOPAL

BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

MANAGER
Chavara Vidhya Bhavan Hr.Sec.School
P.B.No. 4608, Sutlapur Mandideep
RAISEN Distt. 462046

Principal
Chavara Vidhya Bhavan Hr.Sec.School
P.B.No. 4608, Satlapur, Mandideep
Raisen Dt. M.P.-462 046